

बेटे-बहूओं की मारपीट से दुखी होकर वृद्ध दंपती ने आत्महत्या की

आत्महत्या करने से पहले वृद्ध हजारीराम ने सुसाइड नोट लिखा और इस सुसाइड नोट को घर की दीवारों पर चम्पा किया



सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर जाकर टैंक में से शवों को बाहर निकाला।

वृद्ध दंपती के शव को एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल भेजा गया।

नागौर, (निसं) नागौर शहर की करणी कालीनी में प्लॉट के लिए बेटे-बहूओं की मारपीट से दुखी वृद्ध दंपती ने एक साथ दोनों बेटे के कूदकर सुसाइड कर लिया। प्रारंभिक तार पर यह सामने आया कि यह दंपती अकेले ही इस घर में रह रहे थे, परिवार के बीच संपत्ति सहित कई तरह के विवाद चल रहे थे और इसी कलाप के बाद उन्होंने इस घर में वृद्ध दंपती ने इस तरह का आमंत्रण दिया।

नागौर पुलिस अधीक्षक नारायण टोपस ने बताया कि नागौर शहर की करणी कालीनी में रहने वाले वृद्ध हजारीराम विश्वेश्वर और उनकी पत्नी

- अपने ही बेटों और उनकी पत्नियों व बाकी के परिजनों पर वृद्ध दंपती ने सुसाइड नोट में आरोप लगाए हैं, कहा और रिश्तेदारों पर भी परेशान करने का जिक्र है।
- प्रारंभिक तौर पर यह सामने आया कि यह दंपती अकेले ही घर में रह रहे थे, परिवार के बीच संपत्ति सहित कई तरह के विवाद चल रहे थे

चालीनी देवी ने सुसाइड किया है। सूचना दी, इसके बाद वृद्ध दंपती के मृतक हजारी राम की उम्र 70 साल बैटे ने कोतवाली थाना पुलिस को सूचित किया और अनहोनी को अशंका जारी। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर देखा गया और मौके पर देखा तो उनके बैटे को इस बात की अधिकारी राजेन्द्र यादव ने एफएसएल टीम को साथ ही एफएसएल टीम ने

किया जानी से भरे हुए टैंक का ढक्कन भी साक्ष्य डाला है। इस पूरे मामले में खुला है और वृद्ध दंपती के शव का जिक्र में तैर रहे हैं। सुसाइड करने वाले हजारी राम व चालीनी ने आमंत्रण करने से पहले हजारीराम ने सुसाइड नोट लिखा और इस सुसाइड नोट में सबसे दूसरा बाली बाली रह रही है। अपने ही बेटों और उनकी पत्नियों व बाकी के परिजनों पर वृद्ध दंपती ने सुसाइड नोट में आरोप लगाया है। इसके अलावा कई और रिश्तेदारों पर भी उनके बाली बाली रह रही हैं। सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र है कि वृद्ध दंपती को परेशान किया जा रहा था और अपने ही बैटे सहित अन्य के परिजनों पर आरोप है। इस पूरे मामले में परिवार के विशेषानुकालीन व्यवहार की अवधारणा की जायजा लिया। पुलिस टीम के साथ ही एफएसएल टीम ने

मनोहरपुर पुलिस ने अवैध शाब्द सहित आरोपी को गिरफ्तार किया।

चार लाख की अवैध शाब्द जप्त, एक आरोपी गिरफ्तार

पिकअप में अवैध अंग्रेजी व देशी शराब की 164 पेटियां जब्त की



मनोहरपुर, (निसं) थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब चार लाख की अवैध अंग्रेजी व देशी शराब की 164 पेटियां जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

किया जाता है कि वृद्ध दंपती की चालीनी देवी ने एक पिकअप चालक से उसने अपने दोस्रे जीतू को फोन से देखा है कि वृद्ध दंपती को पुलिस को आशंका जारी। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर देखा गया और मौके पर देखा तो उनके बैटे को इस बात की अधिकारी राजेन्द्र यादव ने एफएसएल टीम को साथ ही एफएसएल टीम ने

मनोहरपुर पुलिस ने अवैध शाब्द सहित आरोपी को गिरफ्तार किया।

जिता पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण अनन्द शर्मा बताया कि 9 अक्टूबर को पुलिस को मुख्यमंत्री से सूचना मिली कि एक पिकअप चालक अवैध शराब भरकर विविधी धार्म शाहूया से राजसनाड़ गांव की तरफ आपूर्ति ने थांस पहुंच कर मामला दर्ज कर रहा है। जिसमें अवैध शराब भरी होने की संभावना है। सूचना पर यात्री ने उनके बैटे को जायजा लिया। पुलिस टीम के साथ ही एफएसएल टीम ने

यात्री ने उनके बैटे को जायजा लिया। पुलिस टीम ने उनके बैटे को जायजा लिया।

किया जाता है कि वृद्ध दंपती की चालीनी देवी ने एक पिकअप चालक से उसने अपने दोस्रे जीतू को फोन से देखा है कि वृद्ध दंपती को पुलिस को आशंका जारी। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर देखा गया और मौके पर देखा तो उनके बैटे को इस बात की अधिकारी राजेन्द्र यादव ने एफएसएल टीम ने

मनोहरपुर पुलिस ने अवैध शराब सहित आरोपी को गिरफ्तार किया।

जोधपुर के तस्कर को दस साल की सजा सुनाई



पुलिस ने आरोपी तस्कर को एनडीपीएस कोर्ट ने पेश किया।

चार मिला था।

पिकअप को जब्त कर रामपाल विश्वोर्दि एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

पुलिस ने आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कर तपतीश की इसके बाद आरोपित के

चार मिला था।

पिकअप को जब्त कर रामपाल विश्वोर्दि एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

पुलिस ने आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी तस्कर को एनडीपीएस कोर्ट ने पेश किया।

चार मिला था।

पिकअप को जब्त कर रामपाल विश्वोर्दि एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

पुलिस ने आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी तस्कर को एनडीपीएस कोर्ट ने पेश किया।

चार मिला था।

पिकअप को जब्त कर रामपाल विश्वोर्दि एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

पुलिस ने आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी तस्कर को एनडीपीएस कोर्ट ने पेश किया।

चार मिला था।

पिकअप को जब्त कर रामपाल विश्वोर्दि एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

पुलिस ने आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी तस्कर को एनडीपीएस कोर्ट ने पेश किया।

चार मिला था।

पिकअप को जब्त कर रामपाल विश्वोर्दि एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

पुलिस ने आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी तस्कर को एनडीपीएस कोर्ट ने पेश किया।

चार मिला था।

पिकअप को जब्त कर रामपाल विश्वोर्दि एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

पुलिस ने आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी तस्कर को एनडीपीएस कोर्ट ने पेश किया।

चार मिला था।

पिकअप को जब्त कर रामपाल विश्वोर्दि एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

पुलिस ने आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी तस्कर को एनडीपीएस कोर्ट ने पेश किया।

चार मिला था।

पिकअप को जब्त कर रामपाल विश्वोर्दि एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

पुलिस ने आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी तस्कर को एनडीपीएस कोर्ट ने पेश किया।

चार मिला था।

पिकअप को जब्त कर रामपाल विश्वोर्दि एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

पुलिस ने आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी तस्कर को एनडीपीएस कोर्ट ने पेश किया।

चार मिला था।

पिकअप को जब्त कर रामपाल विश्वोर्दि एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

पुलिस ने आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी तस्कर को एनडीपीएस कोर्ट ने पेश किया।

चार मिला था।

<p

